Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चित्तौड़गढ़ में जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग का कनिष्ठ अभियंता 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *01 अगस्त, सोमवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये फूलचंद स्वामी कनिष्ठ अभियंता, जल–ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ को परिवादी से 50 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चित्तौड़गढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि विभिन्न कार्यादेशों के बकाया बिल करीब 48 लाख रुपये को पास करने की एवज में फूलचंद स्वामी कनिष्ठ अभियंता, जल–ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा कुल राशि के 11 प्रतिशत कमीशन के रूप में **1 लाख रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी चित्तौड़गढ़ इकाई के प्रभारी **पुलिस निरीक्षक श्री दयालाल चौहान** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए फूलचंद स्वामी पुत्र श्री लक्ष्मण स्वामी निवासी ग्राम पोस्ट बूटेरी, तहसील बानसूर, जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय जल–ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग (पी.आई.ए.) गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ को परिवादी से 50 **हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।